कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

–:: विज्ञप्ति ::–

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन उज्जैन की सर्विस बिल्डिंग में कैन्टीन कक्ष का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय भवन भवन, उज्जैन की सर्विस बिल्डिंग में निर्मित कैंटीन कक्ष का संचालन करना चाहता है, वे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन में कार्यदिवस के दौरान निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तो के अनुसार निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अंतिम तिथि दिनांक 16.01.2018 को सायं 5:00 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के कार्यालय में प्रेषित करें। निविदा दिनांक 17.01.2018 को खोली जावेगी। व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत निविदा ग्राहय नहीं की जावेगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (www.mphc.gov.in) पर भी देखा जा सकता है ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)
8-12-17

1593/piyush bhat./word file/Ghyapan

/amit//

:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

जिला न्यायालय भवन परिसर, उज्जैन में केंटीन संचालन करने हेतु

निविदा प्रलेख

जिला न्यायालय भवन परिसर, उज्जैन में एक वर्ष की अवधि के लिये केंटीन संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम **तिथि दिनांक 16.01.2018** निर्धारित की गई है। प्राप्त समस्त निविदायें **दिनांक 17.01.2018** को खोली जावेगी।

केंटीन संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

विवरण एवं शर्ते

1 केन्टीन संचालन हेतु निविदा आवेदन निविदाकर्ता द्वारा विज्ञप्ति की समस्त शर्तो का पालन करते हुये निविदा फार्म सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से निविदा तिथि के अंतिम दिन तक आवश्यक रूप से कार्यालय में प्रेषित करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् रजिस्टर्ड पोस्ट से प्राप्त होने वाले रजिस्टर्ड लिफाफो पर विचार नहीं किया जायेगा।व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

2 केंटीन संचालन हेतु बतौर सुरक्षा निधि निर्धारित रू. 2,00,000/– की एफ.डी.आर. जिला न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिये आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। जो निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत निविदाकर्ता को वापस की जावेंगी।

3. केंटीन संचालन हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि की न्यूनतम दर रू. 17,150/– प्रतिमाह (भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, उज्जैन द्वारा निर्धारित दर) होगी। जिस निविदाकर्ता द्वारा Bid में अधिकतम मासिक प्रीमियम शुल्क निविदा में अंकित किया जावेंगा उसकी निविदा स्वीकृत की जावेंगी।

4. निविदा फार्म के साथ रू. 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में जिला न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से जमा करनी होगी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा

में वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तो के अनुसार अनुबंध–पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी बिना सूचना के जप्त कर ली जाएगी तथा नए टेण्डर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी।

5. केंटीन संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुये निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। जिसकी सूचना जिला न्यायालय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

6. केंटीन के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कराना आवश्यक होगा।

7. मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। केंटीन संचालक के द्वारा केंटीन का किराया नियत समयावधि में जमा न कराने की स्थिति में प्रतिदिन राशि रूपये 100/– के हिसाब से विलंब शुल्क सहित देना होगा।

8. केंटीन संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो।

9. केंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10:00 से सायं 06:30 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

10. केंटीन संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नहीं करेंगे।

11. केंटीन संचालक को खाद्यान्न सामग्री की सूची (कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु चस्पा करना आवश्यक है।

12. केंटीन संचालन हेतु आवंटित कक्ष को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे।

13. केंटीन हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा।

14. प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम, उज्जैन संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

15. व्यावसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे शासकीय संपत्ति को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिष्टी कारित होती हो।

16. केंटीन संचालक को विद्युत व्यय का भुगतान संबंधित विभाग को करना होगा।

17. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ली जाएगी।

18. केंटीन संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2 कर्मचारी संचालक को नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान–पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा केंटीन संचालन अवधि में धारित किये रहेंगे। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

19. केंटीन संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान केंटीन संचालक को केंटीन का संचालन करना होगा।

20. निविदा अवधि एक वर्ष की होगी।

21. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नही पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किए जाने का अधिकार होगा।

22. केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ता द्वारा टेण्डर फार्म राशि रू. 2,500/–, अर्नेस्ट मनी राशि रूपये 25000/– का बैंक ड्राफ्ट सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत विज्ञप्ति दिनांक की अन्तिम तारीख तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। सभी निविदायें **दिनांक. 17.01.2018 को सायं 05:00 बजे** न्यायालय भवन के प्रथम मंजिल पर स्थित कांफ्रेंस हॉल में निविदाकर्तागण/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी और निविदा में बताई गई दरें बोली जाएगी।

23. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तो की पूर्ति करते हुये रूपये 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध–पत्र निष्पादित करना होगा। साथ ही अनुमति दिए जाने के उपरांत 15 दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षानिधि जप्त कर ली जावेगी।

24. सफल निविदाकर्ता को केंटीन संचालन हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान निविदा प्रारंभ होते ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के हक में एक माह की प्रीमियम राशि तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। आगामी निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान प्रत्येक त्रैमास में 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि मे लाईसेंस फीस की राशि जमा न करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर केंटीन का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त कर लिया जावेगा।

25. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप–ए पर निविदा की दरें उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेंट टेप चस्पा किया जाना होगा।

26. केंटीन के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरूद्ध किसी आपत्ति का अंतिम निराकरण जिला व सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा किया जावेगा तथा उनका निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बंधनकारी रहेगा।

27. जिला न्यायाधीश, उज्जैन को यह अधिकार होगा कि केंटीन संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में केंटीन का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि केंटीन संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा लें। इस संबंध में जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

28. केंटीन संचालक द्वारा केंटीन कक्ष में किसी भी अवैधानिक सामग्री, पान गुटखा, तम्बाखू, शराब आदि का विक्रय नहीं किया जावेगा।

29.. केंटीन संचालक को केंटीन कक्ष में अग्नि शमन यंत्र स्थापित करना आवश्यक होगा।

30 निर्धारित समयावधि के उपरांत निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

31 केंटीन संचालक को पेयजल की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगी।

32. केंटीन संचालक को निविदा की शर्तों का पालन न करने पर उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को जप्त कर लिया जाएगा।

33. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि जप्त कर ली जावेगी अथवा उसमें पेनेल्टी स्वरूप युक्तियुक्त रकम काटी जावेगी।

34. केंटीन संचालक को केंटीन छोड़ने की सूचना दो माह पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

35. नगर निगम उज्जैन अथवा अन्य कर जो केंटीन संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

36. केंटीन संचालक को केंटीन में शिकायत पुस्तिका रखना होगी। उक्त शिकायत पुस्तिका का अवलोकन कमेटी के सदस्यों को अथवा जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जावेगा।

37. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अंतर्गत एनेक्सर 'ए' में वांछित दस्तावेज, बैंक ड्राफ्ट /एफ.डी.आर. संलग्न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

38. निविदाकर्ता को उनके द्वारा केंटीन संचालन हेतु प्रदाय की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री व उसकी दर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगी।

<u>मध्यस्थता :-</u>

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तो अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं, विवादों को रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ प्राधिकरण को संदर्भित किया जा सकेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)
8-12-17

:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

टेण्डर डाक्यूमेंट

1. जिला न्यायालय भवन परिसर में 1 वर्ष की अवधि हेतु कैन्टीन संचालन हेतु निविदा का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रं.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा निविदा के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण
1.	कार्य का नाम	जिला न्यायालय भवन उज्जैन में 1 वर्ष की अवधि हेतु कैन्टीन संचालन हेतु निविदा
2.	कार्य अवधि	1 वर्ष
3.	अर्नेस्ट / सुरक्षा निधि राशि	जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के नाम से देय रूपए—25,000 / —की एफ.डी.आर. ।
4.	निविदा फार्म पेटे राशि	जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के नाम से देय रूपए—2,500 / — का बैंक ड्राफ्ट।
5.	निर्धारित प्रीमियम राशि (प्रतिमाह)	रूपए—17,150 / —
6.	एफडीआर / सुरक्षा निधि / परफार्मेंस ग्यारंटी	रूपए—2,00,000 / —

2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईड www.mphc.in पर निविदा की प्रति डाउनलोड की जावेगी। निविदाकर्ता द्वारा टेण्डर फार्म राशि रूपए—2,500 / — जो कि वापसी योग्य नही रहेगी, का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के हक में प्रस्तुत करना होगा।

3. निविदाकर्ता को नियत प्रारूप पर टेण्डर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन को संबोधित करते हुए सीलबंद लिफाफे दिनांक 16.01.2018 तक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम तक प्रेषित करेगें।

4. सीलबंद टेण्डर डाक के माध्यम से नियत समयावधि में टेण्डर बॉक्स में **''जिला न्यायालय उज्जैन में कैटीन संचालन हेतु जारी विज्ञप्ति ''** का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत कर सकेंगे। निविदाकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट के अतिरिक्त किसी अन्य बॉक्स में टेण्डर डाले जाने की स्थिति में उसे टेण्डर प्रकिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।

5. निविदाएं दिनांक 17.01.2018 को सायं 05:00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष या उनके अधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

6. निर्धारित समयावधि उपरांत निविदा प्राप्त होने पर उन पर विचार नही किया जावेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)
8-12-17

:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

जिला न्यायालय भवन उज्जैन में 1 वर्ष की अवधि हेतु कैंटीन संचालन हेतु निविदा

एनेक्जर–'ए'

कोटेशन फार्म

1	निविदाकर्ता का नाम	
2	निविदाकर्ता का पता	
3	फर्म की प्रकृति / पार्टी (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)	प्रोप्रायटरशीप / पार्टनरशीप / प्रायवेट लिमिटेड / पब्लिक
4	प्रोप्रायटर का नाम / मेनेजिंग पार्टनर / मेनेजिंग डायरेक्टर	
5	कांटेक्ट डिटेल	फोन – मोबाईल – ई–मेल –
6	पेन	
7	पंजीयन कमांक, यदि कोई हो तो	
8	इएमडी विवरण	5. राशि 6. एफडीआरः 7. जारी करने की दिनांकः 8. जारी करने वाले बैंक का नामः
9	सुरक्षा निधि विवरण	

12. अनुभव विवरण, (यदि कोई हो तो संलग्न किया जावें)

क्रं.	संस्था / विभाग का नाम जहॉ पर कैन्टीन संचालित है / था।	अनुबंध की अवधि	उक्त संस्था शासकीय / स्वशासी / प्रायवेट	कार्य किए जाने का संतुष्टि प्रतिवेदन हॉ / नही

13. कैन्टीन हेतु प्रीमियम राशि की दर–

विवरण	दर (रूपए में)
नवीन जिला न्यायालय भवन उज्जैन में सर्विस बिल्डिंग में कैन्टीन संचालित किए जाने हेतु प्रतिमाह दिए जाने वाले किराए की दर	3. अंको में – 4. शब्दो में–

:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

जिला न्यायालय भवन उज्जैन में 01 वर्ष की अवधि हेतु कैंटीन संचालन हेतु निविदा

चेक लिस्ट

निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण–

क्रं.	विवरण	संलग्न (हाँ / नहीं)
1	टेण्डर डाक्यूमेंट फीस	
2	अर्नेस्ट मनी डिपाजिट	
3	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर	
4	निविदाकर्ता के निवास के संबंध में प्रमाण–पत्र	
5	पेनकार्ड की छायाप्रति	
6	अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति	
7	नियत प्रारूप एनेक्झर 'ए' पर निविदा	
8	सुरक्षा निधि / परफार्मेंस ग्यारंटी	

स्थान–　　　　　(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक–　　　　　नाम　　　　　कंपनी सील